भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **2987**

दिनांक 10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

कोडागु में काली मिर्च का उत्पादन

2987. श्री यदुवीर वाडियार:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मसाला बोर्ड ने वर्ष 2025-26 के दौरान कर्नाटक के कोडागु जिले में काली मिर्च के उत्पादन में आई गिरावट का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान घरेलू उत्पादन में इस कमी से भारत के काली मिर्च निर्यात की मात्रा, निर्यात लक्ष्य और अंतर्राष्ट्रीय बाजार हिस्सेदारी पर कितना प्रभाव पड़ा है/प्रभावित होने की संभावना है;

(ग) कोडागु में काली मिर्च के छोटे और सीमांत उत्पादकों को सहायता प्रदान करने के लिए विशेष रूप से फसल कटाई के बाद प्रसंस्करण, गुणवत्ता सुधार और मूल्यवर्धन अवसंरचना के उन्नयन के लिए कार्यान्वित की जा रही निर्यात विकास और संवर्धन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने घरेलू फसल के कम उत्पादन की अवधि के दौरान घरेलू उत्पादकों को सस्ते या घटिया आयात की आमद से बचाने के लिए काली मिर्च के न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) को संशोधित करने की आवश्यकता की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) एवं (ख) इलायची के अतिरिक्त अन्य मसालों के उत्पादन, विकास, अनुसंधान और घरेलू विपणन का दायित्व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पास है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय ने सूचित किया है कि इसने कोडागु जिले में एक त्वरित फसल-पूर्व सर्वेक्षण किया है, जिससे संकेत मिलता है कि वर्ष 2024-25 की तुलना में वर्ष 2025-26 में कोडागु में काली मिर्च का उत्पादन लगभग 16% बढ़ सकता है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल-दिसंबर) की अवधि के दौरान भारत से काली मिर्च और काली मिर्च के उत्पादों का निर्यात 101.45 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 की इसी अवधि में यह निर्यात 88.43 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 14.72 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

(ग) मसाला बोर्ड "निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, नवोन्मेषी और सहयोगात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता (एसपीआईसीईडी)" योजना के अंतर्गत, कर्नाटक के कोडगु जिले के काली मिर्च उत्पादकों सहित मसाला उत्पादकों को कटाई के बाद सुधार के लिए सहायता प्रदान करता है, इसके तहत काली मिर्च थ्रेशर, ग्रेडर/क्लीनर आदि उपलब्ध कराए जाते हैं, क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, बाजार संपर्क पहल की जाती हैं और क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित की जाती हैं। बोर्ड ने अपने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन समन्वय हेतु कर्नाटक के कोडगु जिले में दो कार्यालय स्थापित किए हैं।

(घ) सरकार द्वारा न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) लगाने/संशोधन करने के प्रस्तावों पर समय-समय पर विचार किया जाता है। वर्तमान में, काली मिर्च के लिए आयात नीति 'निषिद्ध' है, जिसमें केवल तभी आयात की अनुमति है जब लागत बीमा और माल-भाड़ा (सीआईएफ) मूल्य 500 रुपये प्रति किलोग्राम या उससे अधिक हो। उक्त 500 रुपये प्रति किलोग्राम का एमआईपी लागू रहेगा और यह निर्यात उत्पादन के लिए अग्रिम प्राधिकार योजना के तहत आयात, 100 % निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में स्थित इकाइयों द्वारा आयात और विनिर्माता-निर्यातकों द्वारा पुनर्निर्यात के लिए ओलियोरेसिन निष्कर्षण हेतु आयात पर लागू नहीं होगा, जो लागू नीतिगत शर्तों के अध्यधीन है।

*****